न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री कैलाश चन्द्र

प्रार्थना पत्र 14(4) – 15/18 तारीख रज्जू– 14/06/18

1– लक्ष्मीनारायण पुत्र रतनलाल उम्र 70 वर्ष जाति मीना निवासी महापुरा
2– श्योनारायण पुत्र कन्हैया उम्र 50 वर्ष जाति मीना निवासी मुरली मनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर। प्रार्थीगण

बनाम

1– इकबाल पुत्र नाथु जाति मुसलमान निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2– इकराम पुत्र नाथु जाति मुसलमान निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाड़ा।
3– भुरा पुत्र नाथु जाति मुसलमान निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाड़ा।
4– इस्लाम पुत्र नाथु जाति मुसलमान निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाड़ा।
5– चंगु पुत्र नाथु जाति मुसलमान निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाड़ा।
6– अनोखी बेवा नाथू जाति मुसलमान निवासी शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा।
7– परसराम पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी मुरलीमनोहरपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा।
8– चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति जरिये एसडीओं सवाई माधोपुर।

अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 9.1.2020

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के अर्न्तगत अप्रार्थी संख्या 8 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं अप्रार्थी सं0 6 के पति को को दिनांक 25/05/73 को ग्राम मुरली मनोहरपुरा में स्थित आराजी खं0नं0 2571 में से 2 बीघा भूमि के किये गये अवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी तथा आवंटन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का हवाल देते हुए बहस में निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 8 ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं अप्रार्थी सं0 6 के पति को दिनांक 25/05/73 को ग्राम मुरली मनोहरपुरा में स्थित आराजी खं0नं0 2571 में से 2 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण की और से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवंटि द्वारा जो प्रार्थना पत्र कृषि भूमि के आवंटन हेतु पेश किया गया है। वह अपूर्ण है। आवंटन रूल्स नियम 8 (3) में प्रावधान है कि जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा उसी के द्वारा सत्यापन किया जावेगा। लेकिन उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र नाथू द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि सत्यापन मोहनलाल के द्वारा किया गया है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय स्वतः ही निरस्त योग्य है। आवंटन रूल्स के मुताबिक आंवटित भूमि प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत तथा आवंटन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में संपूर्ण भूमि काश्त होना आवश्यक है। जबकि आवंटी द्वारा उक्त भूमि आंदिनांक तक काश्त न कर आंवटन नियम की अवहेलना की है। आवंटन केवल सिवायचक/बंजड भूमि का ही किया जा सकता है। आवंटन धारा 16 आरटीएक्ट में वर्णित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। उक्त आवंटित भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता है जो स्वयं

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नाथू के आवंटन प्रपत्र के कालम नं0 3 में दर्ज है तथा रास्ते की भूमि आवंटन योग्य भूमि नहीं है। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है। जिसमें भी पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं होना बताया है। तथा जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2040 में उक्त भूमि गै0मु0रास्ता बताई गई है। उक्त खं0नं0 2571 के नवीन खं0नं0 149,150,163 बने है, साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा निम्न नजीरे पेश की गई है। आरआरडी 2014 पेज नं0 468 राजस्थान सरकार बनाम बाबूलाल वगै0 , आरआरडी 2009 पेज नं0 574 मुन्नालाल बनाम राजस्थान सरकार वगै0, साथ ही वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त आवटन आदेश प्रारम्भ से ही शून्य स्थिती में होने के कारण निरस्त योग्य है।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त आवंटन कपट पूर्वक नहीं हुआ। उक्त आवंटन सन् 1975 का है। जिसे 35 वर्ष हो चुके है। आवंटन के पश्चात् उक्त भूमि एक ही खातेदार के पास रहीं है। उसके द्वारा उक्त वाद आराजीयात का विक्रय हमें कर दिया गया है। हमारे द्वारा क्रय की गई भूमि पर वर्तमान में कृषि हो रही है तथा हम ही काबिज है। उक्त आवंटी भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा जबरदस्ती कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें संबंध में न्यायालय उप जिला कलेक्टर के यहां दावा चल रहा है। उक्त वाद अराजीयात मौके पर रास्ते के प्रयोग में नहीं आ रही है। उक्त वाद आराजीयात की किस्म में बदलाब कर सिवायचक दर्ज कर ही हमें आवंटन की गई है। वर्तमान में उक्त वाद आराजीयात पंजाब नेशनल बैक के नाम रहन दर्ज है। वकील अप्रार्थीगण ने निम्न नजीरे पेश की है। आरआरडी 2018 पेज नं0 479 राजस्थान सरकार बनाम शंकरलाल वगै0 , साथ ही वकील अप्रार्थीगण ने उक्त अवंटन आदेश यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त आवेदन पत्र में पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अलोटमैन्ट होने के बाद भी रास्ते में किसी को भी समस्या पैदा नहीं हो सकती है तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036 से 2040 तक में उक्त भूमि गै0मु0रास्ता अंकित है, साथ ही तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार साबिक खं0नं0 2571 के हाल खं0नं0 149,150,163 कूल किता 3 रकबा 2 बीधा के सम्बन्ध में भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त सारसोप से निम्न मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है– उक्त वाद आराजीयात खं0नं0 149,150,163 वर्तमान में परसराम पुत्र माधोलाल जाति माली निवासी मुरली मनोहरपुरा के नाम दर्ज रिकोर्ड है तथा खं0नं0 149, 150 पर अर्जुनलाल पुत्र बद्रीलाल जाति मीना निवासी महापुरा का कब्जा व काश्त है व खं0नं0 163 पर श्योनारायण हनुमान पि0 कन्हैयालाल व बनवारी, मीठालाल,हरकेश,हरिराम राजेश पि0 लक्ष्मीनारायण का कब्जा काश्त है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा के यहां प्रस्तुत वाद पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संलग्न जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036 से 2040 तक में उक्त भूमि गै0मु0रास्ता अंकित है तथा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां आवंटन योग्य भूमि नहीं मानी गई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में गैर मुमकिन रास्ता की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु धारित भूमि है, जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते। जिससे स्पष्ट है कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते। वकील प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2036 से 2040 की पेश की है। जिसमें उक्त वाद आरजीयात गै0मु0रास्ता दर्ज है तथा वकील अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट हो की आंवटन के समय उक्त भूमि गै0मु0रास्ता न होकर सिवायचक दर्ज हो। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों में भूमि की किस्म

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

गै0मु0रास्ता होने के कारण भूमि आवंटन योग्य नहीं होने से आवंटन आदेश निरस्त किया गया है अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे के अनुसार 3 वर्ष बाद खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है तथा खातेदारी प्रदान होने के बाद आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे के संबंध में मेरा अभिमत है यदि किसी ऐसी भूमि का आवंटन किया जाता है जो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम के अनुसार आंवटन योग्य ना हो तो ऐसा आंवटन प्रारम्भ से ही शून्य की स्थिती में माना जाता है तथा चेयरमेन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा गै0मु0रास्ते की भूमि का आवंटन कर राजस्थान भू–राजस्व के नियमों की अवलेहना की है, साथ ही उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें अधिकतम प्रभावशाली होने के कारण मैं वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों से सहमत हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के पिता एवं अप्रार्थी सं0 6 के पति नाथु को ग्राम मुरली मनोहरपुरा में स्थित भूमि खं0नं0 2571 दिनांक 25.05.73 को किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9.1.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र)
अति0जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chander
Date: 2020.02.19 10:33:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: